भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1667

दिनांक 04 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

गुजरात में काकरापार बांध की जल भंडारण क्षमता और सुरक्षा

1667. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जल भंडारण बढ़ाने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ मिलकर कोई उपाय कर रही है;

(ख) क्या दक्षिण गुजरात में स्थित काकरापार बांध कृषक समुदाय और स्थानीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है और क्या यह बांध परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन को भी जल आपूर्ति करता है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार काकरापार बांध की क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): 'जल' राज्य का विषय है। जल संसाधन के संवर्धन, संरक्षण एवं कुशल प्रबंधन के लिए उपाय मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) आदि के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित किया जाता है।

गुजरात सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह विभिन्न बैराजों, वीयरों और चेक बांधों के निर्माण द्वारा जल भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। विशेष रूप से, राज्य द्वारा दो प्रमुख उपायों को और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है: भदभुत बैराज परियोजना, जिसकी नियोजित भंडारण क्षमता 599 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) है और कल्पसर परियोजना, जिसमे खंभात की खाड़ी में बांध निर्मित कर लगभग 8,000 एमसीएम के जलाशय की क्षमता के निर्माण की संकल्पना की गई है।

(ख): जी, हाँ। काकरापार बांध कृषक समुदाय और स्थानीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन को जल की आपूर्ति भी करता है।

(ग): काकरापार बांध की क्षमता में वृद्धि करने के प्रयासों में केन्द्र सरकार इस समय गुजरात सरकार के साथ कार्य नहीं कर रही है। तथापि, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), गुजरात सरकार द्वारा प्रतिप्रवाह क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर रेत, गाद और संबंधित सामग्रियों को हटाने सहित गाद निकालने की गतिविधियाँ की जाती हैं। काकरापार बांध की निरंतर सुरक्षा और संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, गुजरात सरकार द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों का पालन किया जाता है।

*****